उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधित) नीति 2007

भाग-क

राजकोषीय प्रोत्साहन / सुविधाएं, प्रक्रियाओं का औचित्य

केंद्रीय एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 50 यह अपेक्षा करती है कि एसईजेड को सुविधाएं / छूटें प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को भी अपनी नीतियां तथा अधिनियम अधिसूचित करना चाहिए।

केंद्रीय एसईजेड अधिनियम, 2005, एसईजेड नियमावली, 2006 तथा विभिन्न राज्यों की संगत नीतियों का अध्ययन करने के बाद औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा एसईजेड के विकास के लिए अनुकूल माहौल का सृजन करने के उद्देश्य से इसके द्वारा नई उत्तर प्रदेश एसईजेड नीति अधिसूचित की जाती रही है।

राज्य में एसईजेड के विकास को बढ़ावा देने तथा सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इसके द्वारा यह नीति निम्नानुसार अधिसूचित की जा रही है :

2. एसईजेड की प्रमुख विशेषताएं :

2.1. **एसईजेड की स्थापना के माध्यम से विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाओं के साथ समेकित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।**

2.2. **देश और राज्य तेजी से आर्थिक और औद्योगिक विकास प्राप्त करने के अलावा एसईजेड की स्थापना द्वारा रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। इस प्रकार, देश और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एसईजेड को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।**

2.3. **एसईजेड की स्थापना द्वारा निर्यात में वृद्धि की जाएगी। घरेलू निवेश, एफडीआई तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी आकर्षित की जाएगी।**

2.4. **श्रम, पर्यावरण, विद्युत आदि से संबंधित कानूनी प्रावधानों में छूट प्रदान करने / उनको तर्कसंगत बनाने के लिए इस नीति में करों से छूट के लिए प्रावधान किए गए हैं।**

3. राज्य स्तरीय छूट / सुविधा / तर्कसंगत बनाने के लिए नीति

(1) राज्य स्तरीय करों, लेवी, उपकरों, शुल्क तथा ड्यूटी आदि से छूट से संबंधित नीति (अधिसूचना जारी होने की तिथि से संबंधित विभागों द्वारा निम्नलिखित छूटें लागू होंगी) :

(क) एसईजेड के अंदर किसी लेन-देन के लिए या घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से माल या आपूर्ति या सेवाओं की किसी खरीद पर उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रकार के करों, उपकर या लेवी अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण / एजेंसी के करों से एसईजेड विकासक तथा एसईजेड यूनिटों को छूट प्राप्त होगी। डीटीए में यूनिटों को भी एसईजेड यूनिट या एसईजेड विकासक को उनके द्वारा की गई बिक्रियों पर इनसे छूट होगी। इनमें उत्तर प्रदेश व्यापार कर, करोबार कर, मंडी कर, प्रवेश कर, विकास कर, स्थानीय निकाय कर आदि शामिल हैं।

(ख) एसईजेड विकासक तथा यूनिटों को स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों से भी छूट प्राप्त होगी, क्योंकि एसईजेड भारत के संविधान के तहत औद्योगिक टाउनशिप होने और एसईजेड के अंदर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ग) स्थापित / स्थापित किए जाने वाले एसईजेड तथा यूनिटों के विकासक, सह विकासक पहले लेन-देन पर स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त करेंगे परंतु भारतीय स्टांप अधिनियम, 1989 में संशोधनों के कार्यान्वयन पर एसईजेड अधिनियम, 2005 की अनुसूची 3 के अनुसार उसमें प्रावधान के अनुसार छूट लागू होगी।

<u>स्पष्टीकरण:</u>

(क) राज्य स्तरीय करों, लेवी, उपकर, शुल्क तथा ड्यूटी आदि से छूट से संबंधित नीति : उपर्युक्त पैरा 3(1) के उप बिंदु 1, 2 और 3 के संबंध में कर एवं पंजीकरण विभाग द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि 5 मई, 2007 और 15 जून, 2007 को राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य स्तरीय करों, लेवी, शुल्क तथा ड्यूटी (स्टांप शुल्क सहित) में सभी छूटें एसईजेड के केवल प्रसंस्करण क्षेत्र में लागू होंगी।

इस संबंध में, उत्तर प्रदेश सरकार की सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की जा सकती है और भारत सरकार से इसे लागू करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। परंतु जब तक भारत सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता है, एसईजेड नीति में इस बिंदु पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई संशोधन करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता में अन्य राज्यों से पिछड़ सकता है। संपूर्ण एसईजेड में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई उपर्युक्त छूटों के संबंध में उत्तर प्रदेश में मौजूदा नीति को तब तक जारी रखना उचित होगा, जब तक कि भारत सरकार इस संबंध में प्रावधान नहीं करती है। स्टांप शुल्क में छूट केवल पहले अंतरण पर लागू होगी।

(ख) वाहनों पर पंजीकरण शुल्क देय होगा। आवश्यकता के अनुसार स्थाई / अस्थाई पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा संबंधित नियमावली के नियम 33 के तहत लागू शुल्कों के भुगतान पर व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। यात्री / माल वाहक जो केवल एसईजेड के अंदर प्रचालित किए जाएंगे और किसी भी स्थिति में एसईजेड से बाहर नहीं जाएंगे, को कर तथा अतिरिक्त कर से छूट प्राप्त होगी, जबकि अन्य प्रकार के वाहन इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) खनिजों पर रायल्टी के भुगतान पर छूट को कोई प्रावधान नहीं है।

(2) विद्युत से संबंधित नीति

(क) उत्पादन आरंभ होने या सेवा शुरू होने की तिथि से 10 साल की अवधि के लिए एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयोग के लिए पैदा की गई या खरीदी गई बिजली पर विद्युत शुल्क एवं करों से छूट प्राप्त होगी।

(ख) एसईजेड को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अधीन एसईजेड के अंदर विद्युत का उत्पादन, पारेषण एवं वितरण करने की आजादी होगी। जहां भी उत्तर प्रदेश राज्य विनियामक आयोग की सहमति की आवश्यकता होगी, इसे प्राप्त किया जाएगा।

(ग) उत्तर प्रदेश विद्युत नीति के तहत सभी ग्राह्य सुविधाएं एसईजेड को भी उपलब्ध होंगी।

(3) श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाना

(क) श्रम कानूनों को लागू करने से संबंधित श्रम आयुक्त की शक्तियां एसईजेड के विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित की जाएंगी तथा श्रम विभाग के नामित अधिकारी संबंधित एसईजेड में तैनात किए जाएंगे।

(ख) एसईजेड में श्रम कानूनों के तहत एकल खिड़की सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से विकास आयुक्त के नियंत्रण में श्रम विभाग के अधिकारियों की सेवाओं को उपलब्ध कराने की प्रणाली का विकास किया जाएगा।

(ग) मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित निरीक्षणों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यूनिटों को सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्रत्यायित एजेंसियों (श्रम विभाग से बाहर) के माध्यम से निरीक्षण कराने की अनुमति प्रदान करके सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का प्रयोग करेगी। कारखाना अधिनियम, 1948 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा केंद्रीय अधिनियमों की आवश्यकता के अनुसार हानिकर माल की सुरक्षा प्रबंधन

प्रणाली में भारत सरकार की अनुमति से बाहरी प्रत्यायित एजेंसियों द्वारा निरीक्षण की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(घ) एसईजेड में स्थित यूनिटों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार सभी श्रम कानूनों को शामिल करते हुए एकल रिपोर्टिंग फार्मेट अधिसूचित करेगी। श्रम विभाग मौजूदा एकल फार्मेट को और सरल / तर्कसंगत बनाने के लिए प्रयास करेगा।

(4) निरीक्षण से संबंधित नीति

(क) सभी भौतिक निरीक्षणों के लिए विकास आयुक्त के परामर्श से अनुसूची तैयार की जाएगी और तभी निरीक्षण किए जाएंगे।

(ख) किसी उल्लंघन की किसी विशिष्ट सूचना के मामले में निरीक्षण करने वाली एजेंसी से प्रस्तावित निरीक्षण करने से पूर्व विकास आयुक्त की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

<u>स्पष्टीकरण</u> :

उत्पाद शुल्क विभाग के क्षेत्राधिकार में विनिर्माण प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियमों के अंदर उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

(5) स्वीकृति प्रक्रिया (एकल बिंदु / खिड़की स्वीकृति प्रणाली)

(क) सभी राज्य स्तरीय स्वीकृतियां एकल बिंदु पर प्रदान की जाएंगी। राज्य सरकार के सभी संबंधित विभाग एकल बिंदु अर्थात विकास आयुक्त के माध्यम से अथवा विकास आयुक्त के अधीन गठित समिति के माध्यम से इन स्वीकृतियों को जारी करने के लिए व्यवस्था करेंगे, अनुदेश / दिशानिर्देश जारी करेंगे।

(ख) प्रत्येक एसईजेड के विकास आयुक्त के अधीन एक समिति गठित की जाएगी तथा समिति में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों / विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इस समिति के पास राज्य सरकार से संबंधित स्वीकृतियां जारी करने के लिए सभी प्राधिकार होंगे और यह केंद्र सरकार से संबंधित स्वीकृतियों में भी सहायता प्रदान करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि यूनिटों के आवेदन की प्राप्ति की तिथि से निर्धारित अवधि के अंदर सभी विभागों की समयबद्ध स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

(ग) एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 14(जी) के तहत अनुमोदन के प्रयोजनार्थ सभी संबंधित विभाग एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत गठित

की जाने वाली समिति को अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करेंगे / अनुमोदन का कार्य आवंटित करेंगे।

(घ) अधिकांश राज्य स्तरीय स्वीकृतियों को स्वत: स्वीकृति प्रणाली के तहत लाया जाएगा, जिसका अभिप्राय यह है कि विकासक या यूनिट के उद्यमी द्वारा कार्योत्तर सूचना पर्याप्त होगी।

(ङ) राज्य सरकार की एजेंसियों से अपेक्षित सभी स्वीकृतियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एकल आवेदन पत्र अधिसूचित करेगी और विकास आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनुज्ञप्ति पत्र में आवेदन पत्र के तहत शामिल विषयों के अनुमोदन निहित होंगे।

<u>स्पष्टीकरण</u> :

उत्पाद शुल्क विभाग के क्षेत्राधिकार में यूनिटें स्थापित करने के लिए स्वीकृतियां आदि उपर्युक्त प्रणाली द्वारा शामिल नहीं होंगी।

(6) पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाना

(क) प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों की सूची अधिसूचित की जाएगी जिसके लिए एसईजेड में अलग से पर्यावरणीय एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। शेष उद्योगों तथा मामलों के लिए, जहां कानूनी तौर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन संभव है, ये शक्तियां एसईजेड में तैनात उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी / उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाएंगी। संगत अधिनियमों / नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार एसईजेड के आसपास अनियोजित विकास पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी तथा ग्रीन बेल्ट का विकास करने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

(ग) निजी प्रणाणन एजेंसियों की सहायता से एसईजेड में सभी उद्योगों के लिए आवधिक स्वयं प्रमाणन की प्रणाली लागू की जाएगी। विकास आयुक्त यूनिटों से यादृच्छिक तौर पर नमूना एकत्र करके इनके पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए अधिकृत होंगे।

(घ) उद्योगों / परियोजनाओं / ईपीजेड / एसईजेड आदि के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में लदान की गई सूची (ऐसी परियोजनाओं या गतिविधियों की सूची जिनके लिए ईआईए अधिसूचना सं. का.आ. 1533 दिनांक 14 सितंबर, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति

आवश्यक है) दिनांक 14 सितंबर, 2006 के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रणाली स्थापित की गई है।

(7) विकास संरचना से संबंधित नीति तथा एसईजेड के लिए राज्य सरकार की अन्य प्रतिबद्धताएं

(क) एसईजेड सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र में या पीपीपी मोड में स्थापित किए जाएंगे।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) के तहत प्रावधान के अनुसार एसईजेड को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित करेगी।

(ग) एसईजेड को स्थानीय मास्टर प्लान में विशेष क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया जाएगा। जोन के विनियमों के विस्तृत पैरामीटरों तथा लागू भूमि प्रयोग के अंदर विकासक को पर्याप्त नोड उपलब्ध होगी।

(घ) राज्य सरकार विकासक तथा यूनिटों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगी।

(8) भारत सरकार की एसईजेड नीति, 2005 तथा एसईजेड नियमावली, 2006 के तहत राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कदम उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा जिसमें संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों / सचिवों तथा अन्य संबद्ध अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर एसईजेड के अधिकारियों तथा विकासकों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

उपर्युक्त अधिकार प्राप्त समिति की शक्तियां एवं कार्य :

(क) एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत सभी एसईजेड (जिसमें अब तक निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव शामिल हैं) के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना तथा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली तथा उत्तर प्रदेश एसईजेड नीति के अनुसार भारत सरकार को सिफारिश करना।

(ख) एसईजेड की स्थापना तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए गए सभी अन्य कार्य।

(ग) किसी एसईजेड के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।

****